

हरियाणा सरकार

From :- The financial Commissioner & Secy.

Secretary to Govt. Haryana Social Justice & Empowerment Deptt

No. 972-SW(1)-2008

16-6-2008

Subject:- Appointment of Handicapped persons-bringing to the notice of Handicapped candidates within the purview of Haryana Staff Sel. Comm. again.

वि. पदां कार्यकारी गण कृपया वि. पदा का आवलोकन करने का कष्ट करें।

विनाशुक्ल एवं प्रबल सचिव, हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 42/141/2006 SJSI क्रमांक 13-2-2008 का हवाला देते हुए निर्देश दिए हैं कि सरकार ने उक्त विषय बारे निर्णय लिया है कि श्रेणी - C के सभी पदों पर सीधी भर्ती हरियाणा कर्मचारी-पत्रिका आयोग के माध्यम से की जायेगी। विद्यमान व्यक्तियों जैसे अन्ध, अपंग तथा गुणवत्तरे की भर्ती लगातार की जानी चाहिए और इनका कार्य कुशलता से निरूपण किया जाये।

उन्होंने अपूर्ण क्रमांक 3238-484/अ-1/HW/SJSI/2006 दिनांक 27-12-2006, क्र. 9935 दिनांक 23-4-07 और क्रमांक 19891-940 दिनांक 19-9-2007 की शैर अध्यायन दिनांक निर्णय इन पदों के शिर्षक निर्धारित प्राप्ति में भर कर भर्ती का इंतजाम किया गया था।

हरियाणा सरकार  
पूर्व प्रुष्ठ का शेष

इस सम्बन्ध में ध्यान में रखा जाता है कि विभाग के किसी भी पद विलोपन व्यक्तियों का आरक्षण नहीं बनता है। इसलिए विभाग की पुनर्गठना बन्द है, निर्धारित प्रोफार्म में पुनर्गठना के लिए कर दी गई है।

अतः यदि अनुमति हो तो दिनांक 30-6-08 तक की निर्माणी रिपोर्ट FC & S, Social Justice & Empowerment Dept. को भिजवा दी जाये।

अध्याय अनुमोदना के लिये स्वच्छ प्रान्त

हस्ताक्षर - प्रस्तुत है

सही

1/8/08

*[Signature]*

*[Signature]*

अभि  
1/8/08

राजवन्त  
7.8.08

*[Signature]*

कै. राजी मरी

जारी नं० 3081  
8/8/08

~~FC & S~~  
असल - 1

अभि  
7/8/08